न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1703

1. चंवरसिंह पुत्र गुमानसिंह राजावत जाति राजपूत निवासी ग्राम श्यामपुरा कलां तहसील निर्झरना जिला दौसा राज.।
2. रामसिंह गुर्जर पुत्र बरदाराम गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम श्यामुपरा कलां तहसील निर्झरना जिला दौसा राज.।
3. प्रियशंकर खटीक पुत्र श्रीबक्स खटीक जाति खटीक निवासी ग्राम होदयली तहसील निर्झरना जिला दौसा राजस्थान।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र महादेव जाति महाजन निवासी ग्राम श्यामपुरा कलां तहसील निर्झरना जिला दौसा (राजस्थान)

– कन्टेस्टेड रेस्पोडेन्ट

2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार निर्झरना जिला दौसा (राजस्थान)
3. हजारीलाल पुत्र मुरलीधर (फौत दिनांक 30.09.2006)

3/1. रमेश पुत्र हजारीलाल जाति महाजन निवासी 76, चम्बल मार्ग रेशम केन्द्र तक गौतमपुरा, इन्दौर (म.प्र.)

– प्रोफार्मा रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 15.06.2018 अपील संख्या 204/2015 उनवानी रामजीलाल बनाम हजारी व अन्य जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 23.06.1973 के विरूद्ध एकतरफा अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार तहसील लालसोट को रिमाण्ड किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री भगवान सहाय शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित ।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक :– 27.03.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 15.06.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 16.10.2025 के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामजीलाल ने एक अपील नामान्तकरण संख्या 34 दिनांक 23.06.1973 ग्राम पंचायत श्यामपुरा कला पंचायत समिति लालसोट के विरूद्व पेश की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2018 से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाकर तहसीलदार लालसोट को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि प्रश्नगत नामान्तकरण में मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित करने के आदेश पारित किये गये हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 15.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स चंवरसिंह पुत्र गुमानसिंह राजावत वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा का निर्णय दिनांक 15.06.2018 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि वाके ग्राम श्यामपुरा कलां तत्कालीन तहसील लालसोट हाल तहसील निर्झरना जिला दौसा स्थित खसरा नम्बर 162 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा के खातेदार काश्तकार मूली पत्नी मुरलीधर की फौती पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 23.06.1973 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 के हक मे तस्दीक हुआ। उक्त नामान्तरकरण तस्दीक होने के 42 वर्ष पश्चात् मियाद बाहर अपील रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 हजारीलाल को बिना कोई सम्मन की तामील करवाये एकतरफा मे हजारीलाल की मृत्यु दिनांक 30.09.2016 के पश्चात् अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2018 को पारित करवाया है। हजारीलाल की विरासत उनके पुत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 3/1 के हक में स्वीकृत होने के पश्चात् राजस्व भू अभिलेखो मे इन्द्राज रेस्पोंडेन्ट संख्या 3/1 के नाम दर्ज हुआ। अपीलार्थीगण ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2025 को नामान्तरकरण अधीन भूमि क्रय की तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 973 दिनांक 05.07.2025 स्वीकृत होकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे अपीलार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार काश्तकार दर्ज है। इसलिए अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2018 से पीडित होकर अपील अपीलार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष मुख्य आधारों पर प्रस्तुत की गयी।

अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने पर अपीलार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 को अपील के कोई सम्मन की तामील नही करवायी और ना ही आदेशिका मे सम्मन जारी होने का अंकन है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 को अपीलाधीन निर्णय एकतरफा में सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है. जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सुनवाई के सिद्धान्त के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अपील मीमों मे कोई दिनांक अंकित नहीं है और ना ही पीठासीन अधिकारी के प्रस्तुती के समय हस्ताक्षर है। अपील मे मनमाफिक सजरा खानदान अंकित करते हुए रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की वल्दियत गलत अंकित कर अपील पेश की है, जो कि सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अपीलार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 हजारीलाल के सम्मन की तामील होने या नही होने के सम्बन्ध मे कोई आदेश नही किया। उक्त बिन्दु को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अहम कानूनी बिन्दु को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा कर पारित किया गया निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 का स्वर्गवास दिनांक 30.09.2006 को हो गया। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2018 को पारित किया गया, जिससे स्पष्ट है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित हुआ है जो प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होने से निरस्तनीय है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने डब्लू.एल.सी (एस.सी) 2005 (2) पेज नम्बर 348 एवं 2017 (2) आर.आर.टी पेज नम्बर 1047 एस.सी तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा

1992 आर.आर.डी पेज नम्बर 117, 1984 आर.आर. डी पेज नम्बर 209, 1993 आर.आर.डी पेज नम्बर 411 में प्रतिपादित किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 23.06.1973 मे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामजीलाल पक्षकार नही रहा, इसलिए उसके द्वारा प्रस्तुत अपील धारा 96 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र बाबत् अपील पेश करने की स्वीकृति दिये जाने की अनुमति चाहे बिना अपील कानूनन मेन्टेनेबल ही नही थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज कर अपील अपीलार्थी स्वीकार करने में भूल की है, जो सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय केवल मात्र अपीलार्थी के कथनानुसार विवादास्पद होना अंकित कर अपील स्वीकार की है, जिससे स्पष्ट है कि अपील स्वीकार करने मे कोई स्पीकिंग, रिजन्ड आदेश पारित नही किया, जो निरस्तनीय है।

रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 के विरूद्ध प्रश्नाधीन नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 23.06.1973 में अंकित भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा के सम्बन्ध मे तथाकथित इकरार बेचान नामा दिनांक 14.08.1990 के आधार पर घनश्याम, ओमप्रकाश, कैलाशप्रसाद पुत्रान रूपनारायण जाति महाजन निवासी श्यामपुरा कलां ने स्वयं के हक में होना अभिकथित किया है। उक्त इकरार बेचान नामा मे रामजीलाल बतौर गवाह है, जिससे भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन नामान्तरकरण संख्या 34 मे वर्णित आराजी खसरा नम्बर 162 के सम्बन्ध मे रामजीलाल को राजस्व रिकॉर्ड मे खसरा नम्बर 162 की खातेदारी हजारीलाल के नाम दर्ज होने की जानकारी प्रारम्भ से रही है। उक्त तथ्यो को छिपाते हुए प्रश्नाधीन नामान्तरकरण की जानकारी दिनांक 11.05.2015 को होना अंकित कर अपील पेश की है, जो कि स्पष्टतया मियाद बाहर अपील रही है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि उक्त तथाकथित इकरार बेचाननामा के आधार पर प्रस्तुत वाद विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील मे अपीलीय न्यायालय मे विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर दिया तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 180/2015 प्रस्तुत की जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2025 को खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील प्रश्नाधीन नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 23.06.1973 के 42 वर्ष पश्चात् मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की थी। अपील प्रस्तुत करने की देरी को माफी दिये जाने के प्रार्थना पत्र मे कोई उचित कारण अंकित नहीं किये और ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में स्पीकिंग आदेश पारित किया है, इसलिए भी प्रश्नाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

अपीलार्थीगण ने अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकारान् से जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 03.07.2025 को भूमि क्रय कर मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त होकर राजस्व रिकॉर्ड मे जरिये नामान्तरकरण संख्या 973 दिनांक 05.07.2025 खातेदार काश्तकार अंकित है, जिन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी कभी नही रही। वर्तमान मे रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामजीलाल द्वारा अपीलार्थीगण के हक मे पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 973 दिनांक 04.07.2025 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत अपील के सम्मन दिनांक 08.10.2025 को प्राप्त होने पर उसी दिनांक 08.10.2025 को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई तथा जानकारी होने पर नकल दिनांक 08.10.2025 को ही प्राप्त की, जिस पर जानकारी की दिन से अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है, अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को मियाद से माफी दिये जाने बाबत अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रश्नाधीन नामान्तरकरण मे अंकित भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा भूमि के खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 हजारीलाल की विरासत उनके पुत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 3/1 के हक मे स्वीकृत होने के पश्चात् राजस्व भू अभिलेखो मे इन्द्राज रेस्पोंडेन्ट संख्या

3/1 के नाम दर्ज हुआ। अपीलार्थीगण ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2025 को खसरा नम्बर 162 की भूमि क्रय की तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 973 दिनांक 05.07.2025 स्वीकृत होकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपीलार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है, इसलिए अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पीड़ित होने के कारण अपील माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। जिसके सम्बंध में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाहने बाबत अलग से धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 हजारीलाल का स्वर्गवास हो गया है, जिसके विधिक वारिस को बतौर रेस्पोंडेन्ट संख्या 3/1 रमेश पुत्र स्व. हजारीलाल के रूप मे पक्षकार संयोजित किया गया है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना अनुचित, अवैध तथा परवर्स निर्णय पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

प्रश्नाधीन नामान्तरकरण में अंकित भूमि खसरा नम्बर 162 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा भूमि के खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 हजारीलाल की विरासत उनके पुत्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 3/1 के हक मे स्वीकृत होने के पश्चात् राजस्व भू अभिलेखो मे इन्द्राज रेस्पोंडेन्ट संख्या 3/1 के नाम दर्ज हुआ। अपीलार्थीगण ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2025 को खसरा नम्बर 162 की भूमि क्रय की तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 973 दिनांक 05.07.2025 स्वीकृत होकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी मे अपीलार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड मे खातेदार काश्तकार दर्ज है, इसलिए अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से पीड़ित होने के कारण अपील माननीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। जिसके सम्बंध में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाहने बाबत अलग से धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अपील प्रस्तुत करने बाबत अपील की अनुमति नहीं दी गई तो अपीलार्थीगण को अपुर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति अपीलार्थीगण को किसी भी रूप में संभव नही हो सकेंगी तथा अपीलार्थीगण के न्यायिक हितों का हनन होगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/ अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपीलार्थीगण ने अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकारान् से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2025 को भूमि क्रय कर मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त होकर राजस्व रिकॉर्ड मे जरिये नामान्तरकरण संख्या 973 दिनांक 05.07.2025 खातेदार काश्तकार अंकित है, जिन्हें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी कभी नही रही। वर्तमान मे रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 रामजीलाल द्वारा अपीलार्थीगण के हक मे पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 973 दिनांक 04.07.2025 के विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत अपील के सम्मन दिनांक 08.10.2025 को प्राप्त होने पर उसी दिनांक 08.10.2025 को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई तथा जानकारी होने पर नकल दिनांक 08.10.2025 को ही प्राप्त की, जिस पर जानकारी की दिन से अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफी नही दी जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित नही किये जाने की स्थिति में अपीलार्थीगण को अपुर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति अपीलार्थीगण को किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेंगी तथा अपीलार्थीगण के न्यायिक हितों का हनन होगा। अपील विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना जानबुझकर नहीं होकर उपरोक्त वर्णित कारणों से है जिस बाबत न्यायहित में माफी दिया जाना आवश्यक है। कानूनन भी प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के लिए मियाद जैसे तकनीकी बिन्दुओं पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को मियाद से माफी दी जाकर अपील गुणावगुण पर निर्णित किये जाने के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा) को खारिज फरमाये जावे तथा अन्य अनुतोष बहक अपीलार्थीगण माननीय न्यायालय उचित समझे प्रदान किया जावें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2018 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 08.10.2025 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा की पत्रावली व निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद ग्राम श्यामपुरा कलां तत्कालीन तहसील लालसोट हाल तहसील निर्झरना जिला दौसा स्थित खसरा नम्बर 162 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा के खातेदार काश्तकार मूली पत्नी मुरलीधर की फौती पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 23.06.1973 को हजारी पुत्र मुरलीधर के हक मे तस्दीक किया गया को लेकर है, जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के समक्ष हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामजीलाल द्वारा एक अपील नामान्तकरण संख्या 34 दिनांक 23.06.1973 ग्राम पंचायत श्यामपुरा कला पंचायत समिति लालसोट के विरूद्व पेश की गई। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त विवादित भूमि रमेश खण्डेलवाल पुत्र हजारी से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2025 से क्रय की गयी है। पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2025 के आधार पर उक्त विवादित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 973 दिनांक 05.07.2025 अपीलान्ट्स के नाम स्वीकृत किया जा चुका है जिसके के आधार पर अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि पर अधिकार चाहते हैं।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा की पत्रावली व उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत किये दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रश्नगत नामान्तरकरण हजारी पुत्र मुरलीधर के नाम स्वीकृत हुआ था। सरपंच ग्राम पंचायत श्यामपुरा कला पंचायत समिति लालसोट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 23.06.1973 हजारी पुत्र मुरलीधर के नाम स्वीकृत करते समय इस तथ्य की भी जॉच नहीं की गई है कि मूली पत्नी मुरलीधर के कितने विधिक वारिस थे ? उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण हजारी पुत्र मुरलीधर के नाम किस आधार पर स्वीकृत किया गया है, का अंकन नहीं किया गया है। उक्त विवादित भूमि का इकरारनामा बेचान नामा दिनांक 14.08.1990 में इकरारकर्ता प्रथम पक्ष में हजारीलाल पुत्र रघुनाथ का अंकन किया गया है। अपर जिला न्यायाधीश लालसोट जिला दौसा में दीवानी नियमित अपील संख्या 25/2013 उनवानी हजारी लाल बनाम घनश्याम व अन्य वाद प्रस्तुत किया गया है उसमें भी हजारीलाल पुत्र रघुनाथ अंकन किया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि हजारीलाल मुरलीधर का पुत्र है या रघुनाथ का है

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

? ऐसे में हजारी पुत्र मुरलीधर पुत्र रघुनाथ की वल्दीयत में बार–बार परिवर्तन होने से विवादित नामान्तरकरण संदेहास्पद प्रतीत होता है तथा नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु कूटरचना किये जाने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। हाल अपीलान्ट्स ने अपील में हजारीलाल पुत्र मुरलीधर की मृत्यु दिनांक 30.09.2006 होना अंकित किया गया है। जब हजारीलाल पुत्र रघुनाथ पि.मु. मुरलीधर की मृत्यु दिनांक 30.09.2006 हो चुकी है तो उसके द्वारा अपर जिला न्यायाधीश लालसोट जिला दौसा में दीवानी नियमित अपील संख्या 25/2013 उनवानी हजारी लाल बनाम घनश्याम व अन्य वाद किस प्रकार दायर किया गया है। जिसका निर्णय दिनांक 25.02.2015 को हुआ है। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त विवादित भूमि रमेश खण्डेलवाल पुत्र हजारी से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2025 से भूमि क्रय की गयी है। जिससे अपीलान्ट्स उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। जिन्हें भी सुना जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2015 को यथावत रखा जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2015 में आंशिक संशोधन किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत श्यामपुरा कला पंचायत समिति लालसोट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 23.06.1973 हजारी पुत्र मुरलीधर के नाम स्वीकृत किया गया है को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट हाल तहसीलदार निझरना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में मूली देवी पत्नी मुरलीधर के विधिक वारिसान की जॉच की जाए। चूंकि उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट द्वारा रमेश खण्डेलवाल पुत्र हजारी से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2025 से क्रय की गयी है। अपीलान्ट्स उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, जिन्हें भी सुना जाना आवश्यक है। अतः समस्त पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2015 को यथावत रखा जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2015 में आंशिक संशोधन किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत श्यामपुरा कला पंचायत समिति लालसोट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 34 दिनांक 23.06.1973 हजारी पुत्र मुरलीधर के नाम स्वीकृत किया गया है को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लालसोट हाल तहसीलदार निझरना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में मूली देवी पत्नी मुरलीधर के विधिक वारिसान की जॉच की जाए। चूंकि उक्त विवादित भूमि अपीलान्ट द्वारा रमेश खण्डेलवाल पुत्र हजारी से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.07.2025 से क्रय की गयी है। अपीलान्ट्स उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है, जिन्हें भी सुना जाना आवश्यक है। अतः समस्त पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर